न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई ,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–07 / 2025

तारीख दायर :– 17.03.2025

तारीख फैसला :–21.11.2025

1. श्रीमती सुशीला कुंवर पुत्री दोलत सिंह राजपुत (पत्नी लाल सिह जी) निवासी कूण हाल मुकाम हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

बनाम

1. श्रीमती कालु कुवर पुत्री स्व0 भंवर सिंह राजपुत (पत्नी हिम्मत सिंह पिता राम सिंह) निवासी कूण हाल मुकाम आंजनाखेडा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती गुलाब कुंवर पुत्री भंवर सिंह राजपुत (पत्नी हिम्मत सिंह पिता लक्ष्मण सिंह) निवासी कूण हाल मुकाम अरनिया तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती प्रेम कुंवर पुत्री भंवर सिंह राजपुत (पत्नी ईश्वर सिंह पिता उदय सिंह) निवासी कूण हाल मुकाम खिमावतों का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती रतन कुंवर पत्नी स्व0 भंवर सिंह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमती संतोष कुंवर पुत्री भंवर सिंह राजपुत (पत्नी प्रेम सिह) निवासी कूण हाल मुकाम खिमावतों का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री मानसिह पिता दोलत सिह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर
7. श्रीमती लालकुंवर उर्फ सज्जन कुंवर पुत्री दोलत सिह राजपुत (पत्नी भेरू सिह) निवासी कूण हाल मुकाम धकडावला तहसील भीण्डर जिला सलूम्बर।
8. श्री माधु सिह पुत्र श्रीमती जसवन्त कुंवर राजपुत निवासी संग्रामपुरा तहसील कानोडा जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री सोहनसिह उर्फ कालु सिह पुत्र श्रीमती जसवन्त कुंवर राजपुत निवासी संग्रामपुरा तहसील कानोडा जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमंती मिठु कुंवर पुत्री श्रीमती जसवन्त कुंवर राजपुत पत्नी शम्भु सिह राजपुत निवासी पिल्याखेडा तहसील डूगंला जिला चित्तोडगढ (राज.)।
11. श्रीमती सन्तोष कुंवर पुत्री श्रीमती जसवन्त कुंवर राजपुत पत्नी मनोहर सिंह निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तोडगढ (राज.)।
12. श्री सांवर सिह पुत्र खुमाण सिह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
13. श्री नाहर सिह पुत्र खुमाण सिह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
14. श्री गोविन्द सिह पुत्र खुमाण सिह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
15. श्रीमती केलाश कुंवर पुत्री खुमाण सिह राजपुत (पत्नी विजय सिह हाल मुकाम भाणपा तहसील डूंगला) निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
16. श्रीमती दीपा कंवर पुत्री खुमाण सिह राजपुत (पत्नी भेरूसिह निवासी जसवन्त पुरा तहसील कानोड) निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
17. श्रीमती ललिता कुंवर पुत्री खुमाण सिह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.) पत्नी भगवतसिह हाल मुकाम वेजडा का गढा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया. जिला सलूम्बर (राज.)

18. श्रीमती धापु कंवर पुत्री खुमाण सिह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.) पत्नी अर्जुन सिह हाल निवासी खेडाभागल तहसील बडीसादडी जिला चित्तोडगढ।
19. श्री गोतमलाल पिता रूपलाल कुम्हार निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
20. श्रीमती पुष्पा पत्नी मदनलाल कलाल निवासी आरनिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
21. श्री राजमल पुत्र भंवरलाल खटीक निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
22. श्री शान्तिलाल पुत्र कन्हैयालाल कलाल निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
23. श्रीमती सकुडी पत्नी कजोडीमल कलाल निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
24. श्रीमती सुगना पत्नी मनोहर लाल खटीक निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
25. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

....................प्रतिवादी

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलूम्बर

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति – वादी की ओर से – अधिवक्ता श्री राजेश कुमार रेगर

प्रतिवादी की ओर से – एक तरफा

वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा कूण पटवार मण्डल कूण तहसील लसाडिया की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 46 पुराना 243 उक्त आराजीयात 746/2 रकबा 2.4408 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 768/23 रकबा 0.8640 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.3048 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में कालू कुंवर पुत्री भंवर सिह 1/10, हिस्सा, गुलाब कुंवर पुत्री भंवर सिह राजपुत 1/10 हिस्सा, प्रेम कुंवर पुत्र भंवर सिह 1/10 हिस्सा, मानसिह पिता दोलत सिह 1/2 हिस्सा,रजन कुंवर पत्नी भंवरसिह 1/10 हिस्सा, संतोष कुंवर पत्नी भंवर सिह 1/10 हिस्सा, इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 50 पुराना 242 का आराजी नम्बर 416 किता 1 रकबा 0.3240 हैक्टेयर भूमि में वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में कालू कुंवर पुत्री भंवर सिह राजपुत 67/2580, हिस्सा, खुमाण सिह पुत्र प्रताप सिह 1/2 हिस्सा, गुलाब कुंवर पुत्री भंवर सिह राजपुत 67/2580 हिस्सा, गोतमलाल पुत्र रूपलाल 311/3870 हिस्सा, प्रेम कुंवर पुत्री भंवरसिह 67/2580 हिस्सा, पुष्पा पत्नी मदनलाल 9/200 हिस्सा, मानसिह पिता दोलत सिंह 41/300 हिस्सा, रतन कुंवर पत्नी भंवरसिह राजपुत 67/2580, राजमल पुत्र भूरालाल 7/300 हिस्सा, शान्तिलाल पुत्र कन्हैयालाल 11/645 हिस्सा, सकुडी पत्नी कजोडीमल 9/200 हिस्सा, सुगना पत्नी मनोहर लाल 44/1935 हिस्सा, शंतोष कुवर पुत्री भंवर सिह 67/2580 हिस्सा।

मौजा कूण पटवार मण्डल कूण तहसील लसाडिया की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 46 पुराना 243 उक्त आराजीयात 746/2 रकबा 2.4408 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 768/23 रकबा 0.8640 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.3048 हैक्टेयर भूमि व जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 50 पुराना 242 का आराजी नम्बर 416 किता 1 रकबा 0.3240 हैक्टेयर भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीसंख्या 1 से लगायत 11 के मोरूस दोलत

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलूम्बर (राज.)

सिह की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पेतृक सम्पत्ति है जों हमारे मोरूस दौलत सिह जी के वक्त से चली आ रही है। मुल पुरूष जों श्री दोतल सिह जी के दो पुत्र मानसिह एवं भंवरसिह व तीन पुत्रीया सुंशीला कुंवर, जसवन्त कुंवर, एवं लाल कुंवर उर्फ सज्जन कुंवर कुल 05 संन्ताने हुई । जिनमें से भंवर सिंह की मृत्यु हों चुकी जिनके विधिक वारिसान उनकी चार पुत्रीया श्रीमती गुलाब कुंवर, कालू कुंवर, प्रेम कुंवर, संतोष कुंवर, तथा उनकी पत्नी रतन कुंवर है। तथा दोतलसिह की पुत्री जसवन्त कुंवर की भी मृत्यु हो चुकी है। जिनके विधिक वारिसान उसके 02 पुत्र माधु सिह व कालु सिह एवं 02 पुत्रीया मिठु कुंवर एवं संतोष कुंवर हुए।

जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 46 पुराना 243 उक्त आराजीयात 746/2 रकबा 2.4408 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 768/23 रकबा 0.8640 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.3048 हैक्टेयर भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण के मुल पुरूष दौलतसिह के खातेदारी हक अधिकारी एवं आधिपत्य की भूमि थी जों उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 07 लाल कुंवर उर्फ सज्जन कुंवर, बहीन जसवन्त कुंवर व दोनो पुत्र मानसिह एवं भंवरसिह का उनके हक हिस्से अनुसार उपयोग चला आ रहा था लेकिन वक्त विरासत के नामान्तरण के समय दोलत सिह जी के दोनों पुत्रों ने उक्त आराजीयात को 1/2,1/2 अपने नाम करवा दी गई, जबकी उक्त पेतृक भूमि होने से स्व0 दोलतसिह जी की पांचों संतानों के मध्य 1/5, 1/5 हक हिस्से से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिये थी तथा उक्त भूमि में वादीया का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 11 का 1/20–1/20 हक हिस्सा, निहित है।

जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 50 पुराना 242 का आराजी नम्बर 416 किता 1 रकबा 0.3240 हैक्टेयर भूमि भी पेतृक भूमि होने से स्व0 दोलतसिह जी की पांचों संतानों में मध्य 1/10 –1/10 हक हिस्से से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिये थी, उक्त भूमि में वादिया का 1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 07 का 1/10 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 8 से लगायत 11 का 1/40–1/40 हक हिस्सा निहित है।

जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 46 पुराना 243 उक्त आराजीयात 746/2 रकबा 2.4408 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 768/23 रकबा 0.8640 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.3048 हैक्टेयर भूमि वादीया का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 07 का 1/5 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 8 से लगायत 11 का प्रत्येक का 1/20 –1/20 हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार मौके पर संयुक्त आधिपत्य चला आ रहा है। इसलिये वादीया को 1/5 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 07 को 1/5 हिस्से का , प्रतिवादी संख्या 08 से लगायत 11 को प्रत्येक का 1/20 –1/20 हक हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाना नितान्त आवश्यक है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 50 पुराना 242 का आराजी नम्बर 416 किता 1 रकबा 0.3240 हैक्टेयर भूमि में वादीया का 1/10 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 07 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 11 का प्रत्येक का 1/40 –1/40 हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार मौके पर संयुक्त आधिपत्य चला आ रहा है। इसलिये वादीया को 1/10 हक हिस्सा का एवं प्रतिवादी संख्या 07 को 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 से 11 प्रत्येक को 1/40 –1/40 हक हिस्से का खातेदार घोषित कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यदी प्रतिवादी संख्या 1 से 06 द्वारा मोके पर उनके हक हिस्से से अधिक भूमि किसी को विक्रय कर दी होतो उक्त भूमि प्रतिवादीगणों के हिस्से में से कम कर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 11 के नाम उपरोक्तानूसार हिस्से अनुसार अंकित किये जाने की घोषणा कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 से 24 तक को नोटिस जारी होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 4, 9, 13, 20, 21, 22, 23 के अलावा अनुपस्थित रहें प्रतिवादीयों का जवाब बन्द किया गया एवं 4, 9, 13, 20, 21, 22, 23 को दिनांक

2.4.2025 को नोटिस जारी होने के बाद भी 7.11.2025 तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। दिनांक 07.11.2025 को प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाई अमल में लाई गई एवं पत्रावली साक्ष्यवादीया हेतु नियत की गई साक्ष्यवादीया में वादिया का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेजो पर पदर्श अंकित किये गये।

:– निर्णय–:

वादिया अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरान्त मनन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् वादीया के पिता श्री दौलतसिह की मृत्यु के उपरान्त उनकी आराजीयात उनके दोनो पुत्रों (भंवर सिंह व मानसिह) के नाम दर्ज हो गई जबकी पिता की आराजीयात पर विरासत में सभी संतानों (चाहें व पुत्र हों या पुत्रीया हों) का समान अधिकार होता है। इस प्रकरण में दोलतसिह की कुल पांच संतान (दो पुत्र व तीन पुत्रीया) है।। अतः पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड व साक्ष्य अनूसार वादीया (दौलतसिह की संतान) का दौलतसिह के हिस्से की आराजीयात पर हिस्सा 1/5 सिद्ध होता है। धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्री को पुत्र के समान सहधिकार प्राप्त है तथा वह संयुक्त पारिवारिक /पेतृक संपत्ति में जन्मसिद्ध समान अधिकार की अधिकारी है। धारा 8 के अनुसार मृतक की संपत्ति CLASS-1 उत्तराधिकारियों में विभाजित होती है, जिसमें पुत्री भी पुत्र के समान अधिकार वाली प्राथमिक श्रेणी की उत्तराधिकारी है। केवल नामान्तरण से अधिकार समाप्त नही होते हे।अतः पुत्रों के नाम पर संपत्ति का नामांतरण होने मात्र से पुत्री का वैधानिक हिस्सा समाप्त नही होता।

तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दौलत सिंह के तिनों पुत्रीयों (सुशीला कुंवर, जसवन्तकुंवर, लालकुवर उर्फ सज्जन कुंवर) को जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 46 पुराना 243 उक्त आराजीयात 746/2 रकबा 2.4408 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 768/23 रकबा 0.8640 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.3048 हैक्टेयर भूमि व जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 50 पुराना 242 का आराजी नम्बर 416 किता 1 रकबा 0.3240 हैक्टेयर भूमि का विधिक वारिसान घोषित किया जाता है। चूंकी उक्त भूमि में से ग्राम कूण की आराजी नम्बर 416 रकबा 0.3240 हैक्टेयर भूमि में से खातेदार श्री भंवरसिह पिता दौलतसिह द्वारा अलग–अलग विक्रय पत्र से कुल रकबा 0.039 हैक्टेयर भूमि का बेचान एवं खातेदार श्री मानसिह पिता दोलतसिह द्वारा विक्रय पत्र से कुल रकबा 0.0368 हैक्टेयर भूमि का बेचान किया गया। रजिस्टर्ड बेचान से संबधित भूमि का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नही होकर सिविल कोर्ट को है। वादीया इस बेचान की गई भूमि के सम्बन्ध में CIVIL COURT जाने हेतु स्वतन्त्र है। दौलत सिह के विधिक वारिसान मानसिह,भंवरसिह, सुशीला कुंवर, जसवन्तकुंवर, लालकुवर उर्फ सज्जन कुंवर का बराबर का हिस्सा बनता है।

जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 50 पुराना 242 का आराजी नम्बर 416 किता 1 रकबा 0.3240 हैक्टेयर भूमि में से बेचान की गई भूमि के उपरान्त शेष भूमि मे से विधिक वारिसान के अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 46 पुराना 243 उक्त आराजीयात 746/2 रकबा 2.4408 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 768/23 रकबा 0.8640 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.3048 हैक्टेयर भूमि में वादीया का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 07 श्रीमती लाल कुंवर उर्फ सज्जन कुंवर पुत्री दोलत सिह राजपुत (वादीया की बहन) का हिस्सा 1/5, तथा पुत्री जसवन्त कुंवर (दौलत सिह की पुत्री) के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 08 से लगायत 11 श्री माधुसिह, सोहनसिह उर्फ कालुसिह, श्रीमती मिठुकुंवर, संतोष कुवर का हिस्सा 1/20 –1/20 राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जावे। आराजीयात में वादीया के हिस्से के अतिरिक्त शेष भूमि श्री दौतलसिह के विधिक वारिसान (भंवरसिह के विधिक वारिसान, मानसिह पुत्र दौलतसिह, लालकुवर पुत्री दौलतसिह व जसवन्त कुंवर के विधिक वारिसान श्री

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
लसाड़िया, जिला-सलूम्बर

माधुसिह, सोहनसिह उर्फ कालूसिह, मिठ्ठुकुंवर व सतोष कुंवर) के मध्य फलावट कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जावें जिसमें विक्रेता मानसिह व भंवर सिंह द्वारा विक्रय की गई भूमि मानसिंह, भंवर सिंह के हिस्से में ही दर्ज की जावें (जो मानसिह, भंवरसिह के हिस्से से अधिक ना हो) , चुकी मानसिह व भंवर सिह ने जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 50 पुराना 242 का आराजी नम्बर 416 किता 1 रकबा 0.3240 हैक्टेयर भूमि में से अपने हिस्से से ज्यादा भूमि विक्रय कर दी गई है इसलियें अब मानसिह व भंवर सिह के विधिक वारिसान (रतनकुंवर पत्नी भंवरसिह, गुलाब कंवर पुत्री भंवर सिह, कालू कुंवर पुत्री भंवरसिह, प्रेम कुंवर पुत्री भंवर सिह, सतोष कुंवर पुत्री भंवरसिह) जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 50 पुराना 242 का आराजी नम्बर 416 किता 1 रकबा 0.3240 हैक्टेयर भूमि में अब कोई हिस्सा शेष नही बचा है। उक्त आराजी में शेष बची हुई भूमि दोलतसिह की तिनों पुत्रीयों(सुशिला कुंवर, जसवन्त कुंवर के विधिक वारिसान (श्री माधुसिह, सोहनसिह उर्फ कालूसिह, मिठ्ठुकुंवर व सतोष कुंवर) लाल कुंवर उर्फ सज्जन कुंवर) के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जाने की डिक्री जारी की जाती है।

आज दिनांक 21.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार बलाईRAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई ,आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :—07 / 2025

तारीख दायर :— 17.03.2025
तारीख फैसला :— 21.11.2025

—:डिक्री:—

1. श्रीमती सुशीला कुंवर पुत्री दोलत सिंह राजपुत (पत्नी लाल सिह जी) निवासी कूण हाल मुकाम हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

वादीया

बनाम

1 श्रीमती कालु कुवर पुत्री स्व0 भंवर सिंह राजपुत (पत्नी हिम्मत सिंह पिता राम सिंह) निवासी कूण हाल मुकाम आंजनाखेडा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती गुलाब कुंवर पुत्री भंवर सिंह राजपुत (पत्नी हिम्मत सिंह पिता लक्ष्मण सिंह) निवासी कूण हाल मुकाम अरनिया तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती प्रेम कुंवर पुत्री भंवर सिंह राजपुत (पत्नी ईश्वर सिंह पिता उदय सिंह) निवासी कूण हाल मुकाम खिमावतों का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती रतन कुंवर पत्नी स्व0 भंवर सिंह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमती संतोष कुंवर पुत्री भंवर सिंह राजपुत (पत्नी प्रेम सिह) निवासी कूण हाल मुकाम खिमावतों का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री मानसिह पिता दोलत सिह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर
7. श्रीमती लालकुंवर उर्फ सज्जन कुंवर पुत्री दोलत सिह राजपुत (पत्नी भेरू सिह) निवासी कूण हाल मुकाम धकडावला तहसील भीण्डर जिला सलूम्बर।
8. श्री माधु सिह पुत्र श्रीमती जसवन्त कुंवर राजपुत निवासी संग्रामपुरा तहसील कानोडा जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री सोहनसिह उर्फ कालु सिह पुत्र श्रीमती जसवन्त कुंवर राजपुत निवासी संग्रामपुरा तहसील कानोडा जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमंती मिठु कुंवर पुत्री श्रीमती जसवन्त कुंवर राजपुत पत्नी शम्भु सिह राजपुत निवासी पिल्याखेडा तहसील डूगंला जिला चित्तोडगढ (राज.)।
11. श्रीमती सन्तोष कुंवर पुत्री श्रीमती जसवन्त कुंवर राजपुत पत्नी मनोहर सिंह निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तोडगढ (राज.)।
12. श्री सांवर सिह पुत्र खुमाण सिह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
13. श्री नाहर सिह पुत्र खुमाण सिह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
14. श्री गोविन्द सिह पुत्र खुमाण सिह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
15. श्रीमती केलाश कुंवर पुत्री खुमाण सिह राजपुत (पत्नी विजय सिह हाल मुकाम भाणपा तहसील डूंगला) निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
16. श्रीमती दीपा कंवर पुत्री खुमाण सिह राजपुत (पत्नी भेरूसिह निवासी जसवन्त पुरा तहसील कानोड) निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

17. श्रीमती ललिता कुंवर पुत्री खुमाण सिह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.) पत्नी भगवतसिह हाल मुकाम वेजडा का गढा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

18. श्रीमती धापु कंवर पुत्री खुमाण सिह राजपुत निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.) पत्नी अर्जुन सिह हाल निवासी खेडाभागल तहसील बडीसादडी जिला चित्तोडगढ।

19. श्री गोतमलाल पिता रूपलाल कुम्हार निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

20. श्रीमती पुष्पा पत्नी मदनलाल कलाल निवासी आरनिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

21. श्री राजमल पुत्र भंवरलाल खटीक निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

22. श्री शान्तिलाल पुत्र कन्हैयालाल कलाल निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

23. श्रीमती सकुडी पत्नी कजोडीमल कलाल निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

24. श्रीमती सुगना पत्नी मनोहर लाल खटीक निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

25. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

...................प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति – वादी की ओर से – अधिवक्ता श्री राजेश कुमार रेगर

प्रतिवादी की ओर से – एक तरफा

वादीया की ओर से वकील राजेश कुमार रेगर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.11.2025 .को पीठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार बलाई ,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी लसाडिया के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है कि दौलत सिंह के तिनों पुत्रीयों (सुशीला कुंवर, जसवन्तकुंवर, लालकुवर उर्फ सज्जन कुंवर) को जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 50 पुराना 242 का आराजी नम्बर 416 किता 1 रकबा 0.3240 हैक्टेयर भूमि में से बेचान की गई भूमि के उपरान्त शेष भूमि मे से विधिक वारिसान के अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 46 पुराना 243 उक्त आराजीयात 746/2 रकबा 2.4408 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 768/23 रकबा 0.8640 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.3048 हैक्टेयर भूमि में वादीया का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 07 श्रीमती लाल कुंवर उर्फ सज्जन कुंवर पुत्री दोलत सिह राजपुत (वादीया की बहन) का हिस्सा 1/5, तथा पुत्री जसवन्त कुंवर (दौलत सिह की पुत्री) के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 08 से लगायत 11 श्री माधुसिह, सोहनसिह उर्फ कालुसिह, श्रीमती मिठुकुंवर, संतोष कुवर का हिस्सा 1/20 –1/20 राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जावे। आराजीयात में वादीया के हिस्से के अतिरिक्त शेष भूमि श्री दौतलसिह के विधिक वारिसान (भंवरसिह के विधिक वारिसान, मानसिह पुत्र दौलतसिह, लालकुवर पुत्री दौलतसिह व जसवन्त कुंवर के विधिक वारिसान श्री माधुसिह, सोहनसिह उर्फ कालूसिह, मिठ्ठुकुंवर व सतोष कुंवर) के मध्य फलावट कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जावें जिसमें विक्रेता मानसिह व भंवर सिंह द्वारा विक्रय की गई भूमि मानसिह, भंवर सिंह के हिस्से में ही दर्ज की जावें (जो मानसिह, भंवरसिह के हिस्से से अधिक ना हो)

, चुकी मानसिह व भंवर सिह ने जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 50 पुराना 242 का आराजी नम्बर 416 किता 1 रकबा 0.3240 हैक्टेयर भूमि में से अपने हिस्से से ज्यादा भूमि विक्रय कर दी गई है इसलियें अब मानसिह व भंवर सिह के विधिक वारिसान (रतनकुंवर पत्नी भंवरसिह, गुलाब कंवर पुत्री भंवर सिह, कालू कुंवर पुत्री भंवरसिह, प्रेम कुंवर पुत्री भंवर सिह, सतोष कुंवर पुत्री भंवरसिह) जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 50 पुराना 242 का आराजी नम्बर 416 किता 1 रकबा 0.3240 हैक्टेयर भूमि में अब कोई हिस्सा शेष नही बचा है। उक्त आराजी में शेष बची हुई भूमि दोलतसिह की तिनों पुत्रीयों(सुशिला कुंवर, जसवन्त कुंवर के विधिक वारिसान (श्री माधुसिह, सोहनसिह उर्फ कालूसिह, मिठ्ठुकुंवर व सतोष कुंवर) लाल कुंवर उर्फ सज्जन कुंवर) के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जाने की डिक्री जारी की जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

आज दिनांक 21.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार [illegible] RAS)

उपखण्ड अधिकारी

लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)